



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 231 राँची, मंगलवार,

20 मई, 2025 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

19 मई, 2025

संचिका सं०-ख०नि०(विविध)-70/2024-1186/एम०,--खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)

अधिनियम, 1957 यथा संशोधित 2015 के प्रावधानान्तर्गत खनिज ब्लॉक के समनुदान का कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाना है। कतिपय मामलों में समनुदान के कार्य में विलम्ब का मामला खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संज्ञान में लाया गया है।

अतएव खनिज ब्लॉक के नीलामी के पश्चात् संबंधित प्रावधानों के आलोक में वाँछित स्वीकृति/अनापत्ति, पट्टा संविद का निष्पादन की स्वीकृति तथा खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रगति की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

(i)	मुख्य सचिव, झारखण्ड	:-	अध्यक्ष
(ii)	विकास आयुक्त, झारखण्ड	:-	सदस्य
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायुपरिवर्तन, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्य
(vi)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची	:-	सदस्यसचिव

2- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव ।
